कृषि अनुसंधान केन्द्र श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर फतेहपुर–शेखावाटी 332 301 जिला : सीकर (राजस्थान)	01571-297445 M. 9461541032 arsfatehpur@rediffmail.com zdr.fatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक :एफ( )/लेखा/कृ.अ.के./एफटीआर/2016/420 दिनांक 15/9/2016

निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी के फार्म पर रबी 2016–17 की विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन, हिस्सा आधारित्त खेती के लिये लगभग 15–20 हैक्टेयर क्षेत्र में खेती करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 27.09.2016 को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 200/– रूपये केशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा करवाते समय धरोहर राशि 5000/– नगद जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 27.09.2016 को दोपहर बाद 2.30 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्षेत्रीय निदेशक (अनु0)

प्रतिलिपि :—

1. श्री निरजंन पारीक, सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, फतेहपुर को भेजकर लेख है कि इसे सीकर संस्करण में प्रकाशित करवाने का श्रम करें। श्रीमान् जी उपरोक्त विज्ञापन डी0पी0आर0 की दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशन कर बिल तीन प्रतियों में भुगतान बाबत् भिजवाए।

क्षेत्रीय निदेशक (अनु0)

कृषि अनुसंधान केन्द्र

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर

फतेहपुर–शेखावाटी 332 301

जिला : सीकर (राजस्थान)

बीज उत्पादन रबी फसलें – वर्ष 2016–17 हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदाऐं।

1.	निविदा की कीमत	200रू प्रति निविदा
2.	निविदा संदर्भ	**निविदा प्रपत्र** हिस्सा आधारित खेती(रबी2016–17)
3.	निविदा प्रपत्र	सलंग्न (निविदा प्रपत्र मय निविदा शर्ते।
4.	निविदा प्राप्त करने का समय	कार्यालय कार्य दिवस में सुबह10.00 से सांय 5.00 बजे तक
5.	निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	27.09.2016 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि	27.09.2016 दोपहर बाद 02.30 बजे तक
7.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर
8.	पत्र व्यवहार हेतु पता	क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर– 332301

नोटः– धरोहर राशि/ अमानत राशि निविदा फार्म के साथ नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा करवायी जा सकती है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर (राज0)

निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :–

1.	**योजना का नामः** बीज उत्पादन रबी फसलें – वर्ष 2016–17 हिस्सा आधारित खेती
2.	**बजट मदः** रिवोल्विंग फंड, रबी 2016–17
3.	**कार्य की अनुमानित अवधिः** 6 माह (एक सीजन)
4.	**धरोहर राषि की प्रकृति व राषिः** नगद रूपये 5000 / – **निविदा फार्म की कीमत :** रूपये 200 / –
5.	**निविदा खोलने की दिनांक व समय** :– 27.09.2016 दोपहरः 2.30 बजे
6.	**निविदादाता :** कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण :

क्र0सं	बोई जाने वाली फसल का नाम	उत्पादन में ठेकेदार द्वारा दर्षाया जाने वाला हिस्सा(प्रतिषत)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

नोटः (ठेकेदार को थ्रेसिंग कार्य स्वयं को करना होगा। तथा चारा भी ठेकेदार का होगा। ऐसी स्थिति को मघ्यनजर रखते हुए अपना हिस्सा दर्षायें।)

निविदा की शर्ते :–

1.	ट्रेक्टर संबन्धित कार्य डिस्क प्लाउ, हेरों, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, उर्वरक ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी एवं इस प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगे।
2.	बीज उपचार एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद, उर्वरक, फॅफूदनाषक का छिडकाव निविदादाता को करना होगा। बीज, कीटनाषक ,कल्चर एवं छिडकाव की मषीन की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी।
3.	बुवाई से फसल थ्रेसिग व उत्पादन को तोलकर स्टोर में रखवाने तक की प्रक्रिया का श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
4.	विभिन्न शस्य क्रियाये फार्म प्रबन्धक के निर्देषानुसार करनी होगी तथा सम्पूर्ण श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें व फसलों को खरपतवार मुक्त रखना होगा।
5.	बीज उत्पादित रबी फसल 2016–17 हिस्सा आधारित खेती से बंटवारे के बाद कृषि उपज मंडी के 7 दिन के औसत भाव की दर पर 10 प्रतिषत अधिक कोन्ट्रेक्टर को उसके हिस्से के उत्पादन का भुगतान कर दिया जावेगा अथवा निविदानुसार बीज हिस्सा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोन्ट्रक्टर को दिया जायेगा। उत्पादित बीज को रखने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
6.	निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। निराई गुड़ाई तथा कटाई में उपयोग होने वाले औजार ठेकेदार के होंगे।
7.	कोन्ट्रेक्ट खत्म होने / फसल पकने पर फार्म से लिया गया फब्बारा सेट व अन्य कृषि उपकरण स्टोर में जमा करवाने होगे।

8.	फसल थ्रेसिग उपरान्त उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु ट्रेक्टर ट्राली केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। थ्रेसिंग मषीन की व्यवस्था कोन्ट्रेक्टर द्वारा स्वयं को करनी होगी।तथा थ्रेसिंग का भुगतान भी ठेकेदार को करना होगा।। तथा चारे के ले जाने का अधिकार ठेकेदार का होगा।
9.	थ्रसिंग मषीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी /फार्म मैंनेजर के निर्देषानुसार करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो । अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैंनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
10.	फसल में रोगिंग (अवांछित पौधे हटाना)का कार्य फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञानुसार निविदादाता को ही करना होगा।
11.	पम्प व टयूब वैल मोटर ओपरेषन कार्य इनकी देखरेख व रखरखाव पाईप रिसाव आदि कार्य निविदादाता को ही करना होगा। इसका विधुत बिल भुगतान केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
12.	प्रस्तावित निविदा पत्र क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–श्षेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
13.	दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
14.	दर देने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करे एवं निविदा की दर स्याही से लिखे।
15.	ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुॅचाने का पूर्ण उतरदायित्व स्वंय ठेकेदार का होगा। किसी भी शर्त को कम करके या नई शर्ते बढ़ाने का पूर्व अधिकार क्षेत्रीय निदेषक अनु0 को होगा। जिसकी लिखित सूचना निविदादाता को दे दी जायेगी।
16.	विवरणीका के अनुसार कृषि कार्य फार्म प्रबन्धक की देखरेख में ही होगा।
17.	सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवष्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवष्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढाई जा सकती है।
18	किसी भी प्रकार के कार्य संबंधि विवाद की स्थिति में फार्म प्रभारी/प्रबन्धक को निर्णय का पूरा पूरा अधिकार होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
19	किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन न होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, ऐसी स्थिति में धरोहर राषि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–श्षेखावाटी, सीकर को होगा व दूसरी न्यूनतम निविदा को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।
20	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–षेखावाटी को होगा।
21	बीज उत्पादित फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी दिन व रात में करनी होगी। अनुमानित हिस्सेदारी से कम हिस्सेदारी पाये जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जा सकती है।

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूॅ। कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक नाम :– पताः– मो0 न0:–	क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, के हस्ताक्षर मय सील	कमेटी सदस्य मय हस्ताक्षर 1. 2. 3. 4. 5. 6.